प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　संख्याः– /42/XXVII(10)16–2019

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10

देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त, 2019

विषय :राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर राज्य अथवा राज्य से बाहर विभिन्न विभागों/संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के एन0पी0एस0 से सम्बन्धित अंशदान जमा करने हेतु पूर्व में की गई व्यवस्था में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–643/XXVII (7) (अं0पे0यो0)/2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 के प्रस्तर–(1) (vi) में राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर राज्य अथवा राज्य से बाहर विभिन्न विभागों, आयागों, निगमों एवं संस्थाओं में कार्यरत हैं, के एन0पी0एस0 से सम्बन्धित अंशदान जमा करने हेतु निम्न व्यवस्था की गयी थीः–

''प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कर्मियों द्वारा सम्बन्धित कोषागार/सी0आर0ए0 से PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर) लेने के बाद अपने नियोक्ता के अंशदान की कुल धनराशि का ड्राफ्ट वेतन आहरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण सहित यथा नाम, पी0आर0ए0एन0, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को निदेशक, लेखा एवं हकदारी को भेजना होगा, जो इस प्रकार प्राप्त आंकड़े व फण्ड को सी0आर0ए0 को भेजेंगे। अतः अब नई पेंशन योजना के अंतर्गत चालान द्वारा धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय के आदेश भी सभी बैंकों को कोषागारों द्वारा दिये जायें। यदि किन्हीं कारणों से मैनुअल बिल बनाना अपरिहार्य हो तो उक्त बिलों से अंशदान की कटौती नहीं की जायेंगी।''

2. उक्त प्राविधानानुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न विभागों, आयोगों, निगमों एवं संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का एन0पी0एस0 से सम्बन्धित अंशदान जमा करने सम्बन्धी कार्य मैनुअल रूप से सम्पन्न होने के कारण अंशदान जमा करने में अत्यधिक समय लगता है।

क्रमशः पृष्ठ–2

3. उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश के अंदर अथवा प्रदेश से बाहर किसी स्वायत्तशासी संस्था/निगम/राजकीय विभाग में कार्यरत हैं, का PRAN प्रतिनियुक्ति की अवधि हेतु उनके मूल विभाग से प्रतिनियुक्ति वाले विभाग में यथाप्रकिया स्थानान्तरित कर दिया जाय। स्वायत्तशासी संस्था/निगम/राजकीय विभागों द्वारा अपने कार्मिकों की भांति ही प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों का भी NPS से सम्बन्धित अंशदान एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को प्रेषित किया जायेगा। जिन विभागों/संस्थाओं में एन0पी0एस0 योजना लागू नहीं है, वहाँ पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी।

4. उक्त के फलस्वरूप उपरोलिखित कार्यालय ज्ञाप संख्या–643/XXVII(7)(अं0पे0यो0)/2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 का प्रस्तर–(1)(vi) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या:– 282/42/xxvii(10)16–2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5 – गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव